न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (जिला. पाली)

लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 194/2015

वादी :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. गोरधन पुत्र घीसू जाति-कुम्हार, निवासी- बलुन्दा तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)		1. ढगलाराम पुत्र घीसा 2. पुरखा पुत्र घीसा 3. रुपाराम पुत्र घीसा 4. महेन्द्र पुत्र गेपरराम वगैरह 5. सुशीला पत्नि गेपरराम वगैरह जाति-कुम्हार, निवासी- बलुन्दा तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 13/06/2015

उपस्थितः. 1. वादी स्वयं उपस्थित ।
2. प्रतिवादी उपस्थित।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 13/06/2015

राज्य सरकार के आदेशानुसार अटल सेवा केन्द्र - बलुन्दा पर आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट" में वादीगण ने एक राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा- बलुन्दा , तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 68, 69, 70 रकबा 11/4, 611/2, 24/3 के बीघा की भूमि आई हुई हैं। उक्त भूमि में वादी का नाम गोकलिया पुत्र घीसू दर्ज हैं। अज्ञानतावश दस्तावेजात में गोकलिया ढगलिया पि0 घीसू दर्ज करवा दिया था जो वादी व प्रतिवादी का बोलता नाम था। जबकि वादी एवं प्रतिवादी का वास्तविक नाम गोरधन ढगलाराम पि0 घीसू सही हैं। वाद-पत्र के ताईद में दस्तावेजात गोरधन पुत्र घीसू का चुनाव फोटो परिचय पत्र संख्या RJ/21/159/210271 दिनांक 31/03/1995 व आधार कार्ड संख्या 247250510947 तथा ढगलाराम पुत्र घीसू का चुनाव फोटो परिचय पत्र संख्या RJ/21/159/210341 की छाया प्रतियाँ भी प्रस्तुत की, जिससे वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि होती हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने एवं वादी एवं प्रतिवादी का वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम गोकलिया ढगलिया पि0 घीसू के स्थान पर गोरधन ढगलाराम पि0 घीसू दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। आज दिनांक 13/06/2015 को ही वादी एवं प्रतिवादीगण ने तहरीरी राजीनामा भी इसी आशय का पेश कर विवादित आराजी की भूमि में वादी का नाम वास्तविक रूप से समझाईस से आपस में राजी बाजी हो जाने तथा दर्ज गलत नाम गोकलिया ढगलिया पि0 घीसू के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादी का वास्तविक नाम गोरधन ढगलाराम पि0 घीसू दुरुस्त दर्ज किये जाने की स्वीकारोक्ति दी हैं। लिहाजा बाद पहिचान पृथक से राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा मजमा–ए–आम लोक अदालत शिविर– बलुन्दा में जानकारी भी प्राप्त की गई। प्रस्तुत तस्दीकसुदा राजीनामा एवं उक्त दस्तावेजात अनुसार गोकलिया ढगलिया पि0 धीसू गलत रूप से दर्ज होना तथा वादी एवं प्रतिवादी का वास्तविक नाम गोरधन ढगलाराम पि0 धीसू होना बखूबी साबित हैं। जिससे वादी का वाद माफिक राजीनामा एवं साक्ष्य सबूत के उक्त दस्तावेजात स्वीकार किया जाना तथा वादी के गलत दर्ज नाम गोकलिया ढगलिया पि0 धीसू जाति–कुम्हार निवासी– बलुन्दा के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वास्तविक सही नाम गोरधन ढगलाराम पि0 धीसू दुरूस्त करवाया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक राजीनामा तस्दीक सुदा एवं दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा– बलुन्दा, तहसील–जैतारण (जिला–पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 68, 69, 70 रकबा 11/4, 611/2, 24/3 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादी के गलत दर्ज नाम गोकलिया ढगलिया पि0 धीसू के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम गोरधन ढगलाराम पि0 धीसू दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को वादी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी से रोका जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 13/06/2015 को आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र बलुन्दा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– **श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0**

वादी :–

1. गोरधन पुत्र घीसू
जाति–कुम्हार, निवासी– बलुन्दा
तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. ढगलाराम पुत्र घीसा
2. पुरखा पुत्र घीसा
3. रूपाराम पुत्र घीसा
4. महेन्द्र पुत्र गेपरराम वगैरह
5. सुशीला पत्नि गेपरराम वगैरह
जाति–कुम्हार, निवासी– बलुन्दा
तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 194/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी स्वयं वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा तरदीक सुदा एवं दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा– बलुन्दा, तहसील–जैतारण (जिला–पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 68, 69, 70 रकबा 11/4, 611/2, 24/3 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादी के गलत दर्ज नाम गोकलिया ढगलिया पि0 घीसू के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम गोरधन ढगलाराम पि0 घीसू दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को वादी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी से रोका जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र बलुन्दा में आज तारीख 13/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–			मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner